फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मोहन बनाम श्यामा

केस संख्या :

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	50/21 धा. 5 आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/12/24	पत्रावली आज दिनांक 24/12/2025 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से मामला पूर्वानुसार दिनांक 15/1/25 को पेश हो।	
	15/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील अप्रार्थी उप.। अप्रार्थी के बहस हेतु आज भी समय चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली दिनांक 5/7/2024 से बहस हेतु लम्बित है अतः अप्रार्थी आवश्यकरूप से बहस करें। अन्यथा पत्रावली गुणावगुण के आधार पर निर्णित कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 28/1/2025 को पेश हो।	सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	28/1/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश .... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 18/2/25 को पेश हो।	
	18/2/2025	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश 15/1/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 11/3/2025 को पेश हों।	
	11/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/3/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	11/3/25
	19/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० उपस्थित। उभय पक्ष विवादित आराजी खसरा 763/1011 व नवीन 763/1011 वाके ग्राम बैनाड़ मय ढोलपुर तहसील [illegible] डाबी जयपुर में मौके पर यथा स्थिति बनाए रखे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 40/2021

1. मोहन लाल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाट जाति जाट, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. कजोडमल पुत्र श्री सुण्डाराम जाति बलाई, निवासी ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री छीतरमल मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामा पत्नी श्री सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मुकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..................अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 19.03.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। राजस्व ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नंबर [illegible]/10[illegible] रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 763/1017 रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है, एवं खसरा नंबर 760/1024 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 761/1028 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 763/1013 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 763/1014 रकबा 0.67 हैक्टेयर है जो प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 754/986 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 755/1023 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 759/987 रकबा 0.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हैक्टेयर, खसरा नंबर 760 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 757/1022 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 758 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 767/1020 रकबा 0.13 हैक्टेयर स्थित है जो प्रार्थी संख्या 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार वादअधीन भूमि के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में काबिज होकर निरंतर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। राजस्व ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नंबर 763/1043, 763/1011 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खसरा नंबर 750 व 751 गै0मु0 रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। यही कृषि भूमि विवादग्रस्त है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगवा खसरा नंबर 763/1043, 763/1011 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 है। उक्त भूमि में से पिछले 100 वर्षो से मौके पर 30 फिट चौडा रास्ता चालू है, जिसका प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदार आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, उक्त रास्ते के पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर मिट्टी की डोल लगी हुई उक्त मिट्टी की डोल पर तार व जाली लगी हुई है एवं नीम का पेड उगे हुये हैं, जिसके पास–पास उक्त रास्ता मौके पर चालू अवस्था में स्थित है तथा उक्त भूमि के पूर्व से पश्चिम उत्तर की ओर वन विभाग की पक्की दीवार बनी हुई है, तथा पहाड स्थित है। वादकारण दिनांक 04.07.2021 को अप्रार्थीगण अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने के रास्ते को जबरन एंगल गाडकर जाली लगाकर बंद करने व प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों से झगडा फसाद करने के दिन व उसे रोकन से इंकार करने से विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा उत्पन्न हुआ। इसलिए वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि, ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नंबर 763/1043, 763/1011 में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराये कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, उक्त चालू रास्ते पर किसी प्रकार एंगल आदि गाडकर बंद नहीं करें उक्त कृत्य न स्वयं करें ना ही अपने एजेंट सर्वेंट आदि से करायें प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनायी रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त वर्णित आराजीयात् खसरा नंबरान् 763/1043, 763/1011 कतई भी विवादग्रस्त भूमि नहीं है, प्रार्थीगण ने जानबूझकर गलत रूप से भूमि को विवादग्रस्त होना अधिरोपित किया है। तथा यह भी कहां कि प्रार्थीगण काश्तकार व्यक्ति नहीं होकर, भू–माफिया किस्म के चालक व्यक्ति है, जो कि गरीब काश्तकारों की भूमियों को हडप करने पर आमादा रहते हैं। मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि में होकर कोई रास्ता 30 फिट चौडा अथवा अन्य किसी नाप का विद्यमान रहा है, जब मौके पर मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि में कोई रास्ता ही विद्यमान नहीं रहा है तो रास्ते का 100 वर्षो से उपयोग उपभोग करने का प्रश्न कहां उदित होता है। प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य मात्र मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से अंकित किये है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमियों में आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरान् 748, 753, 766/994, 763/1018, 767 किस्म बंजड जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से है से होकर मौजूद रहा है तथा इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 767 के निकट स्थित पानी की टंकी से पूर्व दिशा में स्थित खसरा नंबर 748 व 753 जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से दर्ज है में से भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू होने के कारण मौजूद है, तथा इस प्रकार प्रार्थी संख्या 3 सुरेश की भूमि 767/1020 के पश्चिमी दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 748, 753 तथा दक्षिण दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 767 से होकर उत्तर दिशा की ओर स्थित प्रार्थी संख्या 2 कजोडमल की भूमि खसरा नंबर 767/1058 के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 766/994, 767 तथा प्रार्थी संख्या 2 कजोडमल की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 767/1058, 763/1057, 763/1056 के पूर्व दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 763/1018 से होता हुआ रास्ता उपरोक्त प्रार्थीगण की भूमियों व प्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 763/1017 तक जाता है, जिस वैकल्पिक रास्ते के होते हुये प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अन्य कोई रास्ता प्राप्त करने को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों पर मात्र मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमियो में होकर रास्ता कायम करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मय [illegible] के खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 28.06.2021, दिनांक 04.0[illegible] को अथवा अन्य [illegible] दिवस कोई धमकी प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने नहीं दी है। मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को काउण्टर क्लेम हेतु वाद कारण दावा दायरी से एवं दिनांक 15.05.2023 को प्रार्थीगण द्वारा मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि में से जबरिया रास्ता निकलवाने की धमकी दिये जाने से उदित होकर लगातार जारी हो रहा है।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जवाब काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त भूमि खसरा नंबर 763/1043, 763/1011 काउण्टर क्लेमकर्ता की पूर्व में खातेदारी होना स्वीकार है परंतु प्रार्थी /उत्तदाता द्वारा उपखंड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 10/2021 उनवानी मोहनलाल बनाम श्यामा प्रस्तुत कर उक्त भूमि खसरा नंबर 763/1043, 763/1011 में से रास्ते का अनुतोष चाहा गया था। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए को न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर द्वारा स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 12.04.2023 को पारित कर उक्त भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में खसरा नंबर 763/1043, 763/1011 में से रास्ता कायम कर उक्त खसरा नंबरों में से खसरा नंबर 1142/763 रकबा 0.0594 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, खसरा नंबर 1145/763 रकबा 0.0484 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, खसरा नंबर 1145/763 रकबा 0.0484 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कायम कर दिया गया। उक्त रास्ते की भूमि का प्रार्थीगण/उत्तरदाता उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते से उत्तरदाता अपने कृषि संसाधन लेकर आता जाता है। उक्त भूमि खसरा नंबर 763/1043, 763/1011 में से रास्ता कायम कर नये खसरा नंबर 1142/763 रकबा 0.0594 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, खसरा नंबर 1145/763 रकबा 0.0484 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कायम कर दिये गये उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है जिसका प्रार्थीगण/उत्तरदाता उपयोग उपभोग करते आ रहे है। काउण्टर क्लेमकर्ता जबरन उक्त चालू रास्ते को बंद करने पर उतारू है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नहीं है। यदि उक्त रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण/उत्तरदाता अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में काउण्टर क्लेमकर्ता को काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का हक व अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त वर्णित आराजीयात् खसरा नंबरान् 763/1043, 763/1011 कतई भी विवादग्रस्त भूमि नहीं है, प्रार्थीगण ने जानबूझकर गलत रूप से भूमि को विवादग्रस्त [illegible] अधिरोपित किया है। तथा यह भी कहां कि प्रार्थीगण काश्तकार व्यक्ति नहीं होकर, भू–[illegible] किस्म के चालक व्यक्ति है, जो कि गरीब काश्तकारों की भूमियों को हड़प करने पर आमादा रहते हैं। मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि में होकर कोई रास्ता 30 फिट चौडा अथवा अन्य किसी नाप का विद्यमान रहा है, जब मौके पर मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि में कोई रास्ता ही विद्यमान नहीं रहा है तो रास्ते का 100 वर्षों से उपयोग उपभोग करने का प्रश्न कहां उदित होता है। प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य मात्र मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

अंकित किये है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमियों में आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरान् 748, 753, 766/994, 763/1018, 767 किस्म बंजड जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से है से होकर मौजूद रहा है तथा इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 767 के निकट स्थित पानी की टंकी से पूर्व दिशा में स्थित खसरा नंबर 748 व 753 जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से दर्ज है में से भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू होने के कारण मौजूद है, तथा इस प्रकार प्रार्थी संख्या 3 सुरेश की भूमि 767/1020 के पश्चिमी दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 748, 753 तथा दक्षिण दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 767 से होकर उत्तर दिशा की ओर स्थित प्रार्थी संख्या 2 कजोडमल की भूमि खसरा नंबर 767/1058 के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 766/994, 767 तथा प्रार्थी संख्या 2 कजोडमल की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 767/1058, 763/1057, 763/1056 के पूर्व दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 763/1018 से होता हुआ रास्ता उपरोक्त प्रार्थीगण की भूमियों व प्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 763/1017 तक जाता है, जिस वैकल्पिक रास्ते के होते हुये प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अन्य कोई रास्ता प्राप्त करने को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों पर मात्र मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमियो में होकर रास्ता कायम करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मय हर्जा खर्चा के खारिज किये जाने योग्य है। अतः मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावें। एवं मिन जवाबदाता का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावें।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने राजस्व विभाग विज्ञप्ति दिनांक 07.06.66 की छायाप्रति, राजस्व विभाग विज्ञप्ति दिनांक 31.10.1973 की छायाप्रति एवं राजस्व अपील अधिकारी अपील संख्या 335/2023 की प्रति पेश की।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। वाद रास्ते से संबंधित है तथा प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजात से यह साबित है कि मौक पर रास्ते को लेकर विवाद है तथा यदि विपक्ष को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में मजबूती साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested

विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकरान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर 763/1043 एवं 763/1011 वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त टी0 आई0 आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने संबंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:08 IST
Reason: SelfAttested